भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1947

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन मिशन

†1947. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन मिशन के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल टिकटिंग, गैर-मोटर चालित परिवहन और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को एकीकृत करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को एकीकृत परिवहन व्यवस्था समाधानों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और शहरी परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के नगरों को उक्त पहल के अंतर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) 'शहरी नियोजन' राज्य का विषय है, इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें विभिन्न शहरों में सार्वजनिक परिवहन परियोजना, भीड़भाड़ को कम करने के उपायों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शहरी गतिशीलता में सुधार आदि सहित शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए योजना बनाने, उसकी शुरूआत करने और विकसित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

केंद्र सरकार ने मेट्रो परियोजना सहित सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं की व्यवस्थित योजना और निष्पादन के लिए राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 और मेट्रो नीति 2017 जैसे विभिन्न नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो भारत के सभी क्षेत्रों में लागू हैं।

आज की स्थिति के अनुसार, एकीकृत सार्वजनिक परिवहन, डिजिटल टिकटिंग, गैर-मोटर चालित परिवहन, गंतव्य स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए कोई राष्ट्रीय स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन योजना नहीं है।

तथापि, केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों (पीएम-ई-बस सेवा, पीएम-ई-ड्राइव आदि) के अंतर्गत ई-बसों के नियोजन के लिए और संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत मेट्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार करती है। उपरोक्त हस्तक्षेपों के तहत डिजिटल टिकटिंग, एकीकृत सार्वजनिक परिवहन आदि प्राथमिकता वाले विषय हैं।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) "वन नेशन, वन कार्ड" की दृष्टि से एक इंटरऑपरेबल कार्ड है, जो विभिन्न मेट्रो/आरआरटीएस और बस ऑपरेटरों के बीच निर्बाध रूप से काम करता है। मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित क्यूएसपीएआरसी (रुपे चिप के भुगतान एप्लीकेशन के लिए त्वरित विनिर्देश) पर आधारित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) इकोसिस्टम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह इन डिजिटल तकनीकों के माध्यम से टिकटिंग में आसानी सुनिश्चित करके 13 मेट्रो परियोजनाओं और 11 बस परिवहन निगमों में प्रचालन में है, जो निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की सुविधा प्रदान करता है जिससे यातायात की भीड़ कम होती है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी पीएम-ई-बस सेवा दिशानिर्देशों में बस संचालन के लिए एनसीएमसी आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) का कार्यान्वयन शामिल है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की "मेट्रो और गैर-मेट्रो परियोजनाओं के लिए शहरी परिवहन में परिवहन योजना और क्षमता निर्माण" उप योजना के तहत शहरों, यूएलबी आदि के लिए केंद्रीय वित्त सहायता के लिए, एकीकृत गतिशीलता योजना तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, मल्टी मॉडल एकीकरण योजना आदि जैसे विभिन्न अध्ययन पात्र घटक रहे हैं, जिन पर संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव की व्यवहार्यता के आधार पर विचार किया जाता है।
